कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश: शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली

संदेश

हिन्दी दिवस

14 सितंबर,2020

"हिन्दी दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं!"

भारत देश जिसमें सांस्कृतिक विविधता से परिपूर्ण अनेकों भाषाएं और बोलियां प्रचलित हैं। इनमें से 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में मान्यता प्रदान की गई है। परंतु हिन्दी भारत के जन–जन की अभिव्यक्ति की भाषा है। हिन्दी ने हमारे राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोया है तथा अनेकता में एकता की भावना को जीवंत बनाए रखा है। साथ ही देश का शासन देश की भाषा में चले, इसी भावना को केंद्र में रखते हुए हमारे संविधान निर्माताओं ने 14 सितम्बर, 1949 को हिन्दी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्रदान किया।

आज हिन्दी सूचना तकनीक के साथ कदम से कदम मिला कर चल रही है। यूनिकोड फॉन्ट के आ जाने और हिन्दी में टंकण के बहुत से विकल्पों के माध्यम से कंप्यूटर पर हिन्दी में काम करना अत्यंत सरल हो गया है। यह सर्वविदित है कि राष्ट्र के निर्माण में हिन्दी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आज राजभाषा हिन्दी आपस में संपर्क का एक महत्वपूर्ण माध्यम ही नहीं बल्कि अंर्तराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की भाषायी पहचान है। अत: यह हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम अपने सरकारी काम–काज में हिन्दी का अधिकाधिक प्रयोग करें।

आइए, हिन्दी दिवस के इस अवसर पर हम राजभाषा और जनभाषा दोनों रुपों में हिन्दी के प्रचार व प्रसार के लिए इस न्यायालय में यथासंभव योगदान करें, साथ ही कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए सामाजिक दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए सरकारी काम काज करते हुए राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे।

जय हिन्द!

यशवंत कुमार

(यशवंत कुमार)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,

शाहदरा जिला,कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।

संदेश की प्रति सूचनार्थ हेतू प्रेषित की जाती है:–

संख्या 4850–4858 हिन्दी/शाह./दिल्ली/2020 दिनांक 14/09/2020

1. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय), तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
2. जिला न्यायालय, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा, दिल्ली, के समस्त अधिकारी व कर्मचारीगण।
3. लिंक नोडल अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, शाहदरा जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, केन्द्रीय हिन्दी कार्यान्वयन समिति, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली।
5. प्रशासनिक अधिकारी, हिन्दी अनुभाग, पूर्व, शाहदरा एवं उत्तर–पूर्व जिला, कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली ।
6. प्रशासनिक–अधिकारी, देख–रेख शाखा, शाहदरा जिला को इस अनुरोध के साथ कि अपने अधीनस्थ कर्मचारी को निर्देश दें कि न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।
7. प्रशासनिक–अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा, तीस हज़ारी/कड़कड़डूमा न्यायालय, को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. प्राप्ति एवं निर्गमन शाखा, शाहदरा जिला को लेयर्स (LAYERS) पर अपलोड करने हेतु।
9. निजी सचिव, अधोहस्ताक्षरी ।

यशवंत कुमार

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय,

शाहदरा जिला,कड़कड़डूमा न्यायालय, दिल्ली।